**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।**
स्वत्व वाद सं0–69/2015
आदेश

**10.03.2026** अभिलेख आज सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। वाद का पुकार किया गया। उभय पक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। उभय पक्षों की ओर से आज भी कोई पैरवी नहीं है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु निर्धारित है। अपीलार्थी विगत कई तिथियों से कोई हाजिरी पैरवी नहीं कर रहे हैं। अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा कई बार दिशा–निर्देश भी दिया गया, परंतु अपीलार्थी के द्वारा न तो उचित पैरवी किया गया और न ही न्यायालय के आदेश का अनुपालन ही किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अपने वाद के प्रति कोई अभिरुचि नहीं रह गई है। तद्नुसार प्रस्तुत वाद को आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा कराएं तथा विचारण न्यायालय अभिलेख को विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।